समाचार पत्रों की कतरनें

जून, 2026

दिव्य हिमाचल, दिनांक 01 जून 2026

हिमाचल में साढ़े चार माह में 814 सड़क हादसे, 363 ने गंवाई जान

सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस ने लागू किया ईडार 'डिजिटल कवच'

- आधुनिक तकनीक से सड़क हादसे कम करेगी ट्रैफिक टूरिस्ट रेलवे पुलिस
- पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या ज्यादा

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

हिमाचल प्रदेश में साढ़े चार माह में 814 सड़क हादसों में 363 लोगों ने जान गवाई है, जबकि 1029 लोग घायल हुए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सड़क हादसों और उनमें मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रदेश में बढ़ रहे सड़क हादसों को कम करने के लिए ट्रैफिक टूरिस्ट रेलवे पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। राज्य भर में ईडार (डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया है। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से दुर्घटनाओं का न केवल पंजीकरण होगा, बल्कि उनके कारणों और पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण कर समय रहते रोकथाम भी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जनवरी से 15 मई तक साढ़े चार महीने में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जगहों पर पेश आए 814 सड़क हादसों में 363 लोगों ने जान गवाई है। इसके अलावा 1029 लोग इन सड़क हादसों में घायल हुए हैं। इसके अलावा 279 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस का उद्देश्य ईडार के जरिए इन आंकड़ों को जड़ से कम करना है। यह प्रणाली दुर्घटना के समय, स्थान, कारण, वाहन और पीड़ित से जुड़ी हर जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज करती है, जिससे भविष्य की रणनीति तय की जा सके। डीआईजी टीटीआर संजीव गांधी ने कहा कि ईडार केवल रिपोर्टिंग का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर वहां पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य दुर्घटना होने के बाद कार्रवाई नहीं, बल्कि दुर्घटना से पहले जान बचाना है।

शाम छह से नौ बजे तक ज्यादा हादसे

प्रदेश में शाम छह से नौ बजे तक डेंजर विंडो घोषित की गई है, इस समय सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे विंग के डीआईजी संजीव गांधी ने बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन में शाम छह से नौ बजे का समय सबसे अधिक जोखिम वाला पाया गया है। इस दौरान ट्रैफिक दबाव, कम दृश्यता और चालकों की थकान हादसों की बड़ी वजह बनती है। इसी कारण इस समयावधि में राजमार्गों पर विशेष इंटरसेप्टर वाहन और अतिरिक्त गश्ती दल तैनात किए गए हैं।

1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज

आम लोगों के लिए ईडार के तीन बड़े फायदे हैं, जिसमें डिजिटल रिपोर्टिंग से सीधे मदद मिलेगी और 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज, दुर्घटना की जानकारी ईडार पर दर्ज होने पर पीड़ित को तुरंत कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। फास्ट-ट्रैक बीमा दावा डिजिटल रिपोर्ट सीधे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को भेजी जाती है, जिससे बीमा क्लेम जल्दी निपटता है।

घायलों की मदद करने पर इनाम

'राह-वीर' योजना का लाभ जिसमें दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को इनाम और कानूनी सुरक्षा तभी मिलेगी, जब घटना ईडार में दर्ज होगी। डीआईजी टीटीआर संजीव गांधी का कहना है कि यातायात प्रबंधन में, विशेष रूप से राजधानी क्षेत्र में, ट्रैफिक टूरिस्ट रेलवे पुलिस अधिकारी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ।

दुर्घटना रोकने की कार्ययोजना

तकनीक, सख्ती और सुधार, शाम छह से नौ बजे तक सघन पुलिस गश्त, स्पीड कैमरों और अल्को-सेंसर से निगरानी, अवैध पार्किंग पर तुरंत कार्रवाई, खतरनाक पहाड़ी मोड़ों पर हाई-विजिबिलिटी साइन बोर्ड, सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश आज सतर्क, तो कल सुरक्षित, सतर्क रहें आज, जीवित रहें कल, रफ्तार रोमांच देती है, पर जान भी ले सकती है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 4 जून 2026

बीबीएन में जल्द शुरू होंगे ऑटोमेटिक वाहन पासिंग सेंटर

मिनटों में होगी गाड़ियों की जांच, वाहन मालिकों को पासिंग के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार

आरुणि पाठक ■ बीबीएन

■ मशीनरी इंस्टॉलेशन व ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य शेष

■ नालागढ़ के जगातखाना में अगले माह व बद्दी के काठा में जल्द शुरू होगा ऑटोमेटिक वाहन पासिंग सेंटर

औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के नालागढ़ में बन रहा ऑटोमेटिक वाहन पासिंग सेंटर अगले माह शुरू हो जाएगा, जबकि बद्दी के काठा में निर्माणाधीन सेंटर का कार्य भी कंप्लीशन पर है। सेंटरों में मशीनरी इंस्टॉलेशन व ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य शेष है जिसे जल्द पूर्ण किया जा रहा है। विभाग के मुताबिक नालागढ़ का सेंटर जुलाई माह व बद्दी का भी जल्द शुरू हो जाएगा। सेंटर बनने से वाहन मालिकों को पासिंग के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक मशीनों के माध्यम से होगी। वाहन मालिक अब किसी भी दिन अपनी गाड़ी पास करवा सकेंगे। बद्दी के काठा में पासिंग के लिए इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर के लिए 63 बीघा भूमि चिह्नित की गई है। सेंटर के शुरू होने से मैनुअल पासिंग बंद हो जाएगी। जानकारी के अनुसार बद्दी के काठा में निर्माणाधीन इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर का कार्य प्रगति पर चला हुआ है और इसका काफी कार्य पूरा हो चुका है वहीं, मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए कार्य जोरों पर चला हुआ है। इस सेंटर पर केंद्र सरकार 16.35 करोड़, प्रदेश सरकार 3.65 करोड़ खर्च कर रही है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने सेंटर का दौरा कर कार्यों का निरीक्षण किया है। चयनित 63 बीघा भूमि पर 22 करोड़ रुपये की लागत से ऑटोमेटिक वाहन पासिंग सेंटर बन रहा है। 15 बीघा भूमि पर इसका निर्माण किया जा रहा है। 2020 में शुरू हुई इस परियोजना के पूरा होने पर बीबीएन में मैनुअल पासिंग बंद हो जाएगी और सभी वाहनों की फिटनेस जांच मशीनों से होगी।

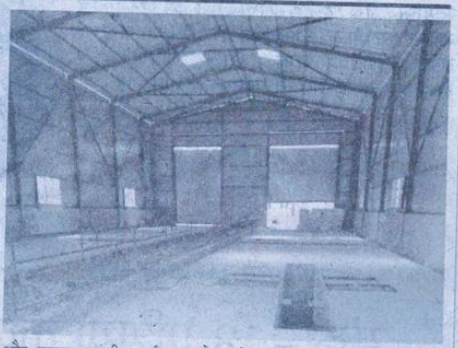

दोबारा जांच की भी होगी सुविधा

चार लेन वाले इस केंद्र में दो लेन भारी वाहनों और दो लेन हल्के वाहनों के लिए होंगी। वाहन चालक गाड़ी पासिंग गेट पर खड़ी कर चाबी सौंपेंगे, इसके बाद गाड़ी मशीनों से होकर निकलेगी। बड़े वाहन की जांच 8 मिनट और छोटे वाहन की 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। अगर किसी वाहन में कमी पाई जाती है तो दोबारा जांच की सुविधा भी होगी।

पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी

पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। पार्किंग और ग्रीन एरिया भी तैयार किए जा रहे हैं। यह ढांचा केंद्र सरकार की मॉडल आई एंड सी योजनां के अनुरूप है, जैसा बड़े राज्यों में लागू आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों में किया गया है। बताया जाता है कि ऐसे केंद्रों से मानवीय हस्तक्षेप कम होने, समय की बचत, तकनीकी जांच की सटीकता बढ़ने और सड़क सुरक्षा में सुधार साबित हुआ है।

जगातखाना में निर्माणाधीन सेंटर का कार्य कंप्लीशन पर

नालागढ़ के जगातखाना में एक अन्य इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर निजी क्षेत्र में खोला जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य कंप्लीशन पर है और इसमें मशीनरी स्थापित करने और ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य ही शेष रहा है।

बीबीएन में हैं 10 हजार से अधिक ट्रक

एशिया की बड़ी ट्रक यूनियनों में शुमार द ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ में है, जिसमें 10 हजार से अधिक ट्रक शामिल हैं। इसके अलावा टेंपो, कैंटर, छोटा हाथी आदि कई यूनियनें व कमर्शियल वाहन हैं, जिनकी पासिंग चली रहती है।

नालागढ़ में बन रहा ऑटोमेटिक वाहन पासिंग सेंटर अगले माह, जबकि बद्दी के काठा का सेंटर भी जल्द शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू होते ही मैनुअल पासिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। वाहन मालिकों को लंबी कतारों में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तेज होगी। सड़क पर केवल तकनीकी रूप से फिट वाहन ही उतरेंगे।

दिव्य हिमाचल, दिनांक 4 जून 2026

दो वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन बोली

परिवहन विभाग ने शुरू की प्रकिया, छह जून तक करें अप्लाई

कार्यालय संवाददाता-शिमला

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए आकर्षक और विशेष पंजीकरण नंबर 0001 की ई-नीलामी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से इस बार दो वीआईपी नंबरों (एचपी87ए-0001), बालीचौकी और (एचपी71ए-0001) नाहन की ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है। परिवहन विभाग के अनुसार इच्छुक छह जून तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक का हिमाचल प्रदेश का निवासी होना या राज्य में व्यवसाय करने का प्रमाण होना आवश्यक है। इन विशेष नंबरों के लिए न्यूनतम बोली राशि पांच लाख रुपए निर्धारित की गई है। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदक को दो हजार रुपए का गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा न्यूनतम बोली राशि का 30 प्रतिशत यानी 1.50 लाख रुपए अग्रिम जमा करवाना अनिवार्य होगा। विभाग ने बताया कि बोली प्रक्रिया पांच लाख रुपए की आधार राशि पर 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ शुरू होगी। यानी पहली वैध बोली छह लाख रुपएं होगी। इसके बाद बोली में 50 हजार रुपए के अंतराल में बढ़ोतरी की जाएगी। रविवार को नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ई-ऑक्शन का परिणाम रविवार शाम पांच बजे घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को दस जून तक पूरी शेष राशि जमा करनी होगी।

नंबर न लेने पर जब्त होंगे डेढ़ लाख रुपए

यदि सफल बोलीदाता बाद में नंबर लेने से इनकार करता है, तो उसकी जमा की गई 1.50 लाख रुपए की अग्रिम राशि जब्त कर सरकारी खाते में जमा कर दी जाएगी। साथ ही यह नंबर दूसरे स्थान पर रहे बोलीदाता को नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके लिए दोबारा ई-नीलामी आयोजित की जाएगी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 9 जून 2026

सड़क सुरक्षा संबंधी लंबित मुद्दों पर की चर्चा

सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संस्था सरपारा ने बुलंद की आवाज

हिमाचल दस्तक ■ रामपुर बुशहर

सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संस्था सरपारा की एक महत्वपूर्ण बैठक गांवपानी में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संस्था के प्रधान जगतपाल कपाटिया ने की। बैठक के प्रारंभ में संस्था के संस्थापक एवं समर्पित सदस्य रामनाथ भाटिया के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। बैठक में पंचायत क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित, विकासात्मक तथा सड़क सुरक्षा संबंधी लंबित मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। संस्था ने तीन माह पूर्व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के निर्देशों के बावजूद धरातल पर अपेक्षित कार्रवाई न होने पर सदस्यों ने गहरी चिंता व्यक्त की। बैठक में विशेष रूप से सरपारा से लबाना-सदाना (काओबील) लगभग 5-6 किलोमीटर सड़क की फाइल के प्रशासनिक अनुमोदन में हो रही देरी का मुद्दा उठाया गया। सदस्यों ने कहा कि विभाग द्वारा अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है कि यह मार्ग किन कारणों से लंबित है, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा व्याप्त है। इसके अतिरिक्त समेज से सरपारा सड़क के आरडी. 4/450 से 4/468 तक के

■ तीन माह पहले लोक निर्माण मंत्री के समक्ष उठाई समस्या अभी तक नहीं हो पाई दुरुस्त

स्लाइडिंग क्षेत्र के संबंध में बैठक में चिंता व्यक्त की गई कि सड़क के ऊपर स्थित बावड़ी एवं वर्षा के पानी की निकासी के लिए अब तक उचित एवं वैज्ञानिक ड्रेनेज प्रणाली विकसित नहीं की गई है। बावड़ी का पानी, जो सड़क के साथ बनी ड्रेन के माध्यम से कलवर्ट तक पहुंचना चाहिए था, वह समुचित रूप से वहां नहीं पहुंच पा रहा है तथा पानी विभिन्न स्थानों से रिस रहा है। संस्था ने आशंका व्यक्त की कि आगामी बरसात में यही रिसाव क्षेत्र को पुनः दलदल बना सकता है, जिससे पिछले वर्ष लगभग 25 लाख रुपये की लागत से लगाए गए सुरक्षा डंगे को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। विभाग को वहां तुरंत सही ड्रेनेज सिस्टम का कार्य शुरू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त समेज-सरपारा कैंची सड़क पर स्थित नाले में स्थायी रूप से कॉजवे व उपयुक्त कलवर्ट निर्माण की मांग को पुनः दोहराया जाए। संस्था ने कहा कि बरसात के दौरान इस नाले में अत्यधिक मात्रा में पानी आने से सड़क लंबे समय तक बाधित रहती है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 11 जून 2026

हिमाचल में वाहन परमिट लेना होगा महंगा

27 साल बाद बढ़ेंगी शुल्क की दरें, हर दो साल बाद 10 फीसदी होगा इजाफा

वरिष्ठ संवाददाता ■ शिमला

- 1999 के बाद पहली बार बढ़ेगी परमिट फीस
- 30 दिन में मांगे लोगों से सुझाव
- बस-टैक्सी संचालकों को ड़ा झटका

ये होंगी प्रस्तावित नई परमिट शुल्क दरें

वाहन का प्रकार	अस्थायी	नियमित
बसें	750	1500
मोटर कैब और ऑटो रिक्शा	50	50
मैक्सी कैब, एलएमवी मालवाहक	100	200
मध्यम और हैवी गुड्स वाहन	100	100
जीप और अन्य यात्री वाहन	100	100
स्टेज कैरिज व अन्य वाहन	500	1000

विशेष परमिट भी होंगे महंगे

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88 (8) के तहत जारी होने वाले विशेष परमिटों के शुल्क में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत अस्थायी विशेष परमिट के लिए 250 रुपये तथा नियमित विशेष परमिट के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं अन्य श्रेणियों में भी 20 से 50 रुपये तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

हिमाचल में व्यावसायिक वाहनों के परमिट लेना अब महंगा होगा। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के परमिट शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव जारी करते हुए नई दरें अधिसूचित कर दी हैं। खास बात यह है कि विष्य में इन शुल्कों में हर 2 वर्ष स्वतः 10 प्रतिशत की वृद्धि भी की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग को अलग से प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) आरडी नजीम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा, मालवाहक वाहनों, जीप और अन्य यात्री वाहनों के परमिट जारी करने तथा उनके नवीनीकरण के लिए नई शुल्क दरें निर्धारित की गई हैं। विभाग ने इन प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता, परिवहन संचालकों, टैक्सी यूनियनों, बस ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, परिवहन विभाग ने कैबिनेट को भेजे अपने प्रस्ताव में न्यूनतम परमिट शुल्क एक हजार रुपये करने की मांग की थी, लेकिन कैबिनेट ने इसे मंजूरी नहीं दी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वाहन परमिट शुल्क में वर्ष 1999 के बाद पहली बार बढ़ोतरी की जा रही है। यदि प्रस्तावित संशोधन लागू होते हैं तो प्रदेश के परिवहन क्षेत्र से जुड़े हजारों वाहन संचालकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अंतिम निर्णय से पहले सरकार सभी पक्षों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का परीक्षण करेगी।